स्थापना वर्ष सन् 2007 ई.

'सा विद्या या विमुक्तये'

स्व0 ईशदत्त स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय

देवाराकदीम, महराजगंज, आजमगढ़ (उ.प्र.)

सम्ब(: महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

स्नातक-
कला एवं विज्ञान संकाय

स्नातकोत्तर- कला संकाय
(हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, समाजशास्त्र व गृहविज्ञान)

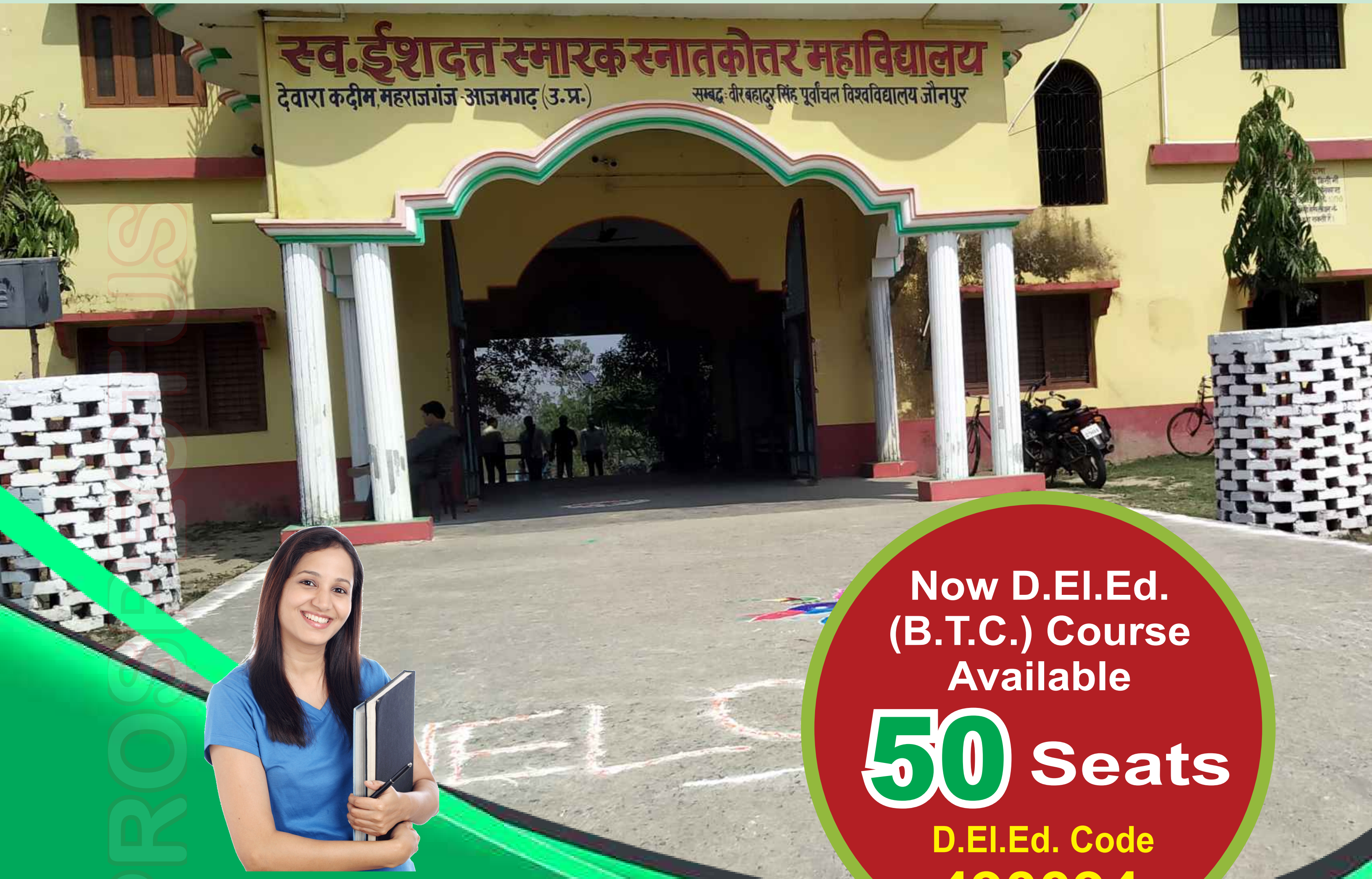

PROSPECTUS

विवरणिका

Now D.El.Ed. (B.T.C.) Course Available

50 Seats

D.El.Ed. Code
490094

Digiशक्ति
मा. योगी आदित्यनाथ
स्व. ईशदत्त स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय
देवारा कदीम महराजगंज - आजमगढ़
सम्बद्ध- बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्व
जौनपुर
प्रदेश शासन द्वारा निःशुल्क टैबलेट एवं
वितर
प्रबन्धक
कुमार यादव

Digiशक्ति

मोतीलाल यादव

संस्थापक

किसी क्षेत्र का विकास शिक्षा पर ही निर्भर करता है। जैसा कि विदित है, यह महाविद्यालय जिला मुख्यालय से 25 किमी. दूर पूर्ण रूप से घाघरा नदी द्वारा निर्मित खादर क्षेत्र में स्थित है। महाविद्यालय की स्थापना से पूर्व यह अनुभूति की गयी कि बालक-बालिकाओं को उच्च शिक्षा की प्राप्ति में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। समस्या को ध्यान में रखते हुए सन् 2007 ई. में महाविद्यालय को स्थापित किया गया। जनपद आजमगढ़ के ग्रामीण देवारांचल में स्थापित यह महाविद्यालय अशिक्षा एवं अज्ञानता के परिवेश में ज्ञानरूपी प्रकाशमयी पथ-प्रदर्शक तथा अनुशासन का सर्वोत्तम माध्यम है, जहाँ पर असहाय, अशिक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावक अपने भावी पीढ़ी को सुसंस्कृत एवं जीवन-यापन करने के योग्य बनाने का अवसर प्राप्त करते हैं।

यह महाविद्यालय संवेदनशीलता, सतत् विकास तथा दूरगामी दृष्टि को प्रखर करता है जो हमारी भविष्य की पीढ़ी के सम्पूर्ण विकास में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा। हमारे महाविद्यालय की दो राष्ट्रीय सेवा योजना (छ्ैैण्) की इकाइयाँ राष्ट्रीय सेवा भाव की पूर्ति के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।

महाविद्यालय वर्तमान में स्नातक स्तर पर 11 विषयों एवं स्नातकोत्तर स्तर पर पाँच विषयों तथा डी.एल.एड. की शिक्षा प्रदान करते हुए भविष्य में बी.एड्. एवं आई.टी.आई. पाठ्यक्रमों की शिक्षा हेतु प्रयासरत् है।

श्रीमद्भागवत गीता का यह श्लोक 'कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन्' ''कर्म करो फल की चिन्ता नहीं'' को महाविद्यालय परिवार अंगीकृत करता है। महाविद्यालय परिवार अपने कार्यो को लेकर अति संवेदनशील है और यदि आप अपने कर्मो को जरा भी ईमानदारी से करते हैं तो निश्चित रूप से यह संस्था आपके वर्तमान एवं भविष्य के निर्माण का अनुपम मार्ग सुनिश्चित करेगी।

हमारी यह शुभेच्छा है कि छात्र/छात्राओं का चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास हो एवं वे राष्ट्रीयता, सामाजिकता एवं मानवीय गुणों के विकास में अग्रणी रहें।

सन्देश

राकेश कुमार यादव (पूर्व एम.एल.सी.)
'गुड्डू'
संरक्षक
मो0 : 09415208754, 09919859892

अभिषेक कुमार यादव
प्रबन्धक
मो0 : 9559298901, 9918790999

प्रिय छात्र एवं अभिभावकगण,

मुझे यह कहते हुए गर्व एवं सुखद अनुभूति हो रही है कि आप इस महाविद्यालय से जुड़ने जा रहे हैं, स्व0 ईशदत्त स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। महाविद्यालय आपको सुसज्जित शैक्षिक वातावरण एवं अनुशासनपूर्ण पठन-पाठन का आश्वासन देता है। हमारी संस्था इस खादर भूमि (देवारांचल) में शैक्षिक उर्वरक के रूप में निरन्तर कार्य कर रही है। हमारा लक्ष्य आपका सतत् विकास करना है एवं इसे पूर्ण करने में बाबा भैरवनाथ की अहम् भूमिका है।

यदि आप इस संस्था से जुड़ जाते हैं तो हमें आप से यह उम्मीद है कि आप हमारी मान्यताओं और परम्पराओं पर खरे उतरेंगे।

महाविद्यालय की समस्त कार्यप्रणाली राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता एवं विश्व बन्धुत्व तथा जीवन के जीवन्त उच्च आदर्शों पर आधारित है।

मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ सदैव रहेंगी।

धन्यवाद !

माँ सरस्वती वन्दना

या कुन्देन्दु
तुषारहार धवला
या शुभ्र-वस्त्रावृता
या वीणावरदण्ड
मण्डितकरा
या श्वेतपद्मासना

या ब्रह्माच्युत
शंकर:प्रभृतिर्भि
देवैः सदा वन्दिता
सा मां पातु
सरस्वती भगवती
निःशेषजाड्यापहा।

महाविद्यालय नियमावली

प्रवेश आवेदन-फ एवं प्रवेश प्रक्रिया

1. **बी.ए./बी.एससी. प्रथम सेमेस्टर :**

   (क) आवेदन पत्र 15 जून से 15 जुलाई तक प्रत्येक कार्य दिवस पर महाविद्यालय कार्यालय से प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक रू0 200/- नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।

   (ख) पूर्ण आवेदन-पत्र हाईस्कूल के प्रमाण-पत्र एवं इण्टर के अंकपत्र की सत्यापित छायाप्रति के साथ कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे।

   (ग) प्रवेश में चुने गये अभ्यर्थियों को निर्धारित समय एवं तिथि पर मूल प्रमाण-पत्र, हाईस्कूल एवं इण्टर के अंकपत्र, आयु प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र, पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य है।

2. स्नातकोत्तर में प्रवेश बी.ए. उत्तीर्ण मार्कशीट एवं उपरोक्त प्रमाण-पत्र।

नियम एवं शर्तें

1. सभी छात्र/छात्राओं को प्रत्येक कार्य दिवस में महाविद्यालय आना आवश्यक है।
2. महाविद्यालय में आयोजित होने वाले प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रत्येक छात्र/छात्राओं की उपस्थिति अनिवार्य है।

महाविद्यालय में मान्यता प्राप्त विषय

Now D.El.Ed. (B.T.C.) Course Available 50 Seats

स्नातक (कला संकाय)

(1) हिन्दी
(2) समाजशास्त्र
(3) राजनीतिशास्त्र
(4) शिक्षाशास्त्र
(5) भूगोल (प्रायोगिक)
(6) प्राचीन इतिहास
(7) गृहविज्ञान (प्रायोगिक)
(8) अंग्रेजी
(9) मनोविज्ञान (प्रायोगिक)
(10) अर्थशास्त्र
(11) संस्कृत

स्नातक (विज्ञान संकाय)

(1) जन्तु विज्ञान
(2) वनस्पति विज्ञान
(3) रसायन विज्ञान
(4) भौतिक विज्ञान
(5) गणित

स्नातकोत्तर ;कला संकायद्ध

(1) समाजशास्त्र
(2) गृहविज्ञान
(3) हिन्दी
(4) संस्कृत
(5) भूगोल

परिचय-पत्र

(1) महाविद्यालय में प्रवेश लेने के तत्काल बाद ही प्रत्येक छात्र/छात्राओं को महाविद्यालय कार्यालय में अपना पंजीकरण कराकर परिचय-पत्र लेना अनिवार्य है।

(2) परिचय-पत्र खो जाने पर इसकी दूसरी प्रति प्रार्थना-पत्र एवं रू0 50.00 जमा करने पर प्राप्त हो सकेगी।

विषय परिवर्तन

विश्वविद्यालय के मानकानुसार प्रवेश प्राप्त कर लेने के बाद यदि कोई छात्र अपना विषय परिवर्तन करना चाहता है तो उसे सम्बन्धित विषयों के विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य की लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। विषय परिवर्तन प्रवेश के 15 दिनों के बाद तक ही सम्भव होगा। गैर-प्रयोगात्मक विषयों से प्रयोगात्मक विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को निर्धारित प्रयोगात्मक शुल्क जमा करने के बाद विषय परिवर्तन हो सकेगा। प्रयोगात्मक विषय छोड़कर गैर-प्रयोगात्मक विषय लेने वाले छात्रों को किसी भी दशा में प्रयोगात्मक शुल्क की वापसी सम्भव न हो सकेगी।

प्रवेश के लिए आवंटित विषयों के अतिरिक्त परीक्षा आवेदन पत्र में स्वेच्छया भरे गये विषय मान्य नहीं होंगे तथा उक्त विषय की परीक्षा में उन्हें सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त नहीं हो सकेगी।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

महाविद्यालय में विविध विषयों की पुस्तकों एवं पत्रिकाओं से परिपूर्ण पुस्तकालय एवं संलग्न वाचनालय है। महाविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा निर्देशित नियम के अन्तर्गत निश्चित अवधि के लिए प्रत्येक छात्र पुस्तकें प्राप्त कर सकेंगे। वाचनालय में प्रत्येक विषय से सम्बन्धित पत्र–पत्रिकाएं एवं जर्नल्स उपलब्ध होंगे। पुस्तकालय एवं वाचनालय में सम्बन्धित व्यवस्था हेतु पुस्तकालयाध्यक्ष का निर्देश अन्तिम रूप में मान्य होंगे। प्रवेश लेने के 15 दिनों के अन्दर या पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा निश्चित तिथि तक छात्र द्वारा पुस्तकालय कार्ड बनवा लेना होगा, अन्यथा छात्र पुस्तकालय की सुविधा से वंचित रहेगा। पुस्तकालय कार्ड बनवाने के लिए प्रवेशार्थी को प्रवेश रसीद के साथ उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा पुस्तकें प्राप्त करने हेतु भी पुस्तकालय कार्ड के साथ छात्र–छात्रा की उपस्थिति आवश्यक है।

खेल-कूद

महाविद्यालय के छात्रों के शरीर-सौष्ठव के एवं खेलकूद में उनकी निपुणता तथा विकास हेतु क्रीड़ा सम्बन्धी समस्त आन्तरिक एवं वाह्य क्रीड़ा सुविधाएँ उपलब्ध हैं। महाविद्यालय के पास अपना क्रीड़ांगन, खेलकूद सुविधा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय द्वारा क्रीड़ा अधीक्षक नियुक्त हैं, जिनकी देखरेख में इनडोर तथा आउटडोर खेलों एवं विविध प्रकार के व्यायाम-सुविधाओं की प्राप्ति सम्भव है। क्रीड़ा-सम्बन्धी उपकरण/सामग्री किसी भी खिलाड़ी छात्र को घर के लिए सुलभ न हो सकेगी। खिलाड़ियों का चयन क्रीड़ा-अधीक्षक की देखरेख में किया जाता है।

BTC

D.El.Ed. Course Available

50 Seats

राष्ट्रीय सेवा योजना

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा कार्य विभाग के सौजन्य से महाविद्यालय में इस योजना की दो इकाई संचालित है, जिसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के साथ राष्ट्र सेवा है। समय-समय पर राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से शिविर लगाकर वृक्षारोपण, मलिन बस्तियों की सफाई एवं मार्ग निर्माण जैसे सार्वजनिक हित के कार्य किये जाते हैं। इस योजना में सहभागिता के इच्छुक छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश पाने के बाद निर्धारित आवेदन-पत्र भर कर राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय में जमा करना होगा। इकाई में प्रतिवर्ष छात्रों का चयन साक्षात्कार के आधार पर एक समिति द्वारा किया जाता है, जिससे केवल स्नातक स्तर के छात्र ही सदस्य (स्वयं सेवक) चुने जाते हैं। प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में 120-240 घण्टे सार्वजनिक सेवा कार्य करने वाले छात्रों को दो वर्षो की अवच्छिन्न सदस्यता अवधि पूरा करने पर प्रमाण पत्र दिये जाते हैं।

सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं शैक्षिक भ्रमण

महाविद्यालय में समय-समय पर निर्धारित सांस्कृतिक कार्यक्रम, वन विहार (पिकनिक) एवं शैक्षिक भ्रमण कराया जाता है।

अनुशासन

महाविद्यालय छात्र-जीवन में अनुशासन को सर्वोच्च मान्यता देता है। महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक छात्र/छात्रा से निर्दिष्ट अनुशासन एवं उत्तम आचरण की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई छात्र/छात्रा अनुशासनहीनता, चरित्रहीनता अथवा किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाता है तो प्राचार्य, अनुशासनाधिकारी की संस्तुति पर अपराध की प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित दण्ड दे सकते हैं।

1. अर्थदण्ड
2. निलम्बन (सस्पेंशन)
3. निष्कासन (एक्सपल्सन)
4. निस्सारण (रेस्टीकेशन)

अर्थदण्ड अपराध की प्रवृत्ति तथा उसकी गम्भीरता पर निश्चित होगी, जो कम से कम 100/- रू0 तक होगी। निलम्बन की अवधि में छात्र किसी भी कक्षा में उपस्थित होने की अनुमति न प्राप्त कर सकेगा। निलम्बन एवं अर्थदण्ड की सजा पाने के बाद यदि कोई छात्र जबरदस्ती कक्षाओं में घुसने का प्रयास करता हुआ पाया जाता है या किसी शिक्षक, कर्मचारी अथवा छात्र से अशिष्टता करता हुआ पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही का भी प्रावधान है। अत्यन्त गम्भीर अपराध करने वाले छात्रों को महाविद्यालय से आजीवन निस्सारण पर भी विचार किया जा सकेगा। अन्य महाविद्यालयों में एडमिशन लेकर इस महाविद्यालय की किसी कक्षा में बैठने वाले छात्रों के विरुद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करना, सामान्य प्रशासन में हिंसात्मक हस्तक्षेप करना, हड़ताल करना, तालाबन्दी करना, गिरोहबन्दी करना, छात्र/छात्राओं, कर्मचारियों, शिक्षकों एवं प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनहीन आचरण करना अथवा ऐसे किसी भी कार्य के लिए प्रेरित करना गम्भीर अपराध माना जाएगा, जिसके लिए एकाधिक दण्ड भी दिया जा सकता है। सामान्य अनुशासन बनाये रखने के लिए महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त प्रत्येक छात्र को निम्नलिखित सामान्य नियमों का पालन करना आवश्यक है :-

1. अनुशासनाधिकारी द्वारा निर्देशित प्रत्येक मौखिक एवं लिखित निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. शिक्षण कार्य चलते समय कमरों के सामने न तो टहले, न ही भीड़ लगायें। बरामदे में अनावश्यक रूप से न टहलें।
3. छात्रों का छात्राओं के कामन-रूम में जाना वर्जित है तथा छात्राओं के आवागमन में बाधा पैदा करना गम्भीर अनुशासनहीनता होगी।
4. महाविद्यालय भवन, दीवारों एवं प्रांगण को साफ रखें तथा किसी भी प्रकार की भित्ति-लेखन न करें, जिससे परिसर की स्वच्छता प्रभावित हो।
5. महाविद्यालय छोड़ते समय चरित्र प्रमाण-पत्र अनुशासनाधिकारी या संयोजक छात्र कल्याण समिति के कार्यालय से दिये जायेंगे। चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र कम से कम दो दिन पूर्व देना होगा।
6. महाविद्यालय के किसी छात्र को एक बार चरित्र प्रमाण पत्र दिये जाने के बाद दूसरा प्रमाण-पत्र विशेष परिस्थितियों में ही दिया जा सकेगा।
7. किसी भी छात्र/छात्रा को दो बार चेतावनी देने के बाद उसके द्वारा की गई अनुशासनहीनता को उसके चरित्र पंजिका में अंकित कर दिया जाएगा।
8. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) प्राप्त करने हेतु पुस्तकालय से अनापत्ति (नो ड्यूज) प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

उपस्थिति

1. स्नातक एवं स्नातकोत्तर की सभी परीक्षाओं के लिए शिक्षण अवधि में कुल कक्षा व्याख्यानों में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. प्रयोगात्मक विषयों से सम्बन्धित प्रयोगशाला में भी 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस नियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना एवं स्काउटिंग के शिविरों तथा शैक्षणिक पर्यटन की उपस्थिति भी महाविद्यालय के उन दिनों की पूर्ण उपस्थिति के समान मानी जायेगी।
3. कक्षा या प्रयोगशाला की उपस्थिति में कमी होने पर प्रत्येक दशा में अधिक से अधिक 15 प्रतिशत की छूट विशेष कारणों को ध्यान में रखते हुए दी जा सकती है। कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। (क) बीमारी (ख) खेलकूद (ग) महाविद्यालय द्वारा मान्य शिक्षणेत्तर क्रियाकलाप इत्यादि।
4. छात्र की बीमारी की दशा में अस्वस्थता के 7 दिनों के भीतर रोग तथा अनुमानित अवकाश का उल्लेख करते हुए प्राचार्य को सूचित करना होगा और पुनः ठीक होने पर इस आशय का मान्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।
5. उपर्युक्त छूट अधिकार के रूप में नहीं माँगी जा सकती। इस सम्बन्ध में निर्णय प्राचार्य के विवेक पर निर्भर होगा।
6. यह उत्तरदायित्व छात्र का होगा कि वह अपनी उपस्थिति सम्बन्धी जानकारी समय-समय पर प्राप्त करता रहे।

पेयजल एवं शौचालय

महाविद्यालय के परिसर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था करायी गयी है। महाविद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के उपयोग के लिए स्वच्छ शौचालयों की अलग-अलग पर्याप्त व्यवस्था है।

महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ

1. महाविद्यालय के प्रत्येक संकाय में मानक के अनुसार प्राध्यापक।
2. समुन्नत पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था।
3. सभी प्रयोगात्मक विषयों के लिए सुसज्जित, संसाधनयुक्त प्रयोगशाला की उत्तम व्यवस्था।
4. विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलों का मैदान तथा इससे सम्बन्धित क्रीड़ा सामग्रियाँ उपलब्ध हैं।
5. भारत सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सौजन्य से महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का 200 छात्रों की इकाई स्थापित है। इसमें स्नातक स्तर के छात्रों का सहभाग मिलता है। प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में 120, 120 घण्टे की सार्वजनिक सेवा करने पर रा0से0यो0 (राष्ट्रीय सेवा योजना) प्रमाण पत्र दिये जाते हैं, जो शैक्षिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण साबित होते हैं।
6. महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों के संवर्धनार्थ रोवर्स/रेंजर्स की इकाई कार्यरत है जिसमें 50 छात्र/छात्राओं का प्रतिभाग निर्धारित है।
7. छात्रों को भौतिक युग के अनुरुप सामर्थ्यवान बनाने हेतु महाविद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था की गई है।
8. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार विभिन्न विषयों के छात्रों के लिए शैक्षणिक यात्रा की व्यवस्था की गई है।
9. छात्रों के समक्ष उत्पन्न विभिन्न कठिनाइयों के उचित समाधान हेतु छात्र कल्याण परिषद का गठन किया गया है, इस परिषद् के द्वारा छात्र/छात्राओं की समस्याओं का निराकरण किया जाता है।
10. विद्यार्थियों के कलात्मक रुचि लेखन पटुता एवं नेतृत्व जैसे गुणों को विकसित करने के लिए महाविद्यालय में सांस्कृतिक परिषद का गठन किया गया है, जिसके द्वारा समय-समय पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

स्व0 ईशदत्त स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय
देवाराकदीम, महराजगंज, आजमगढ़

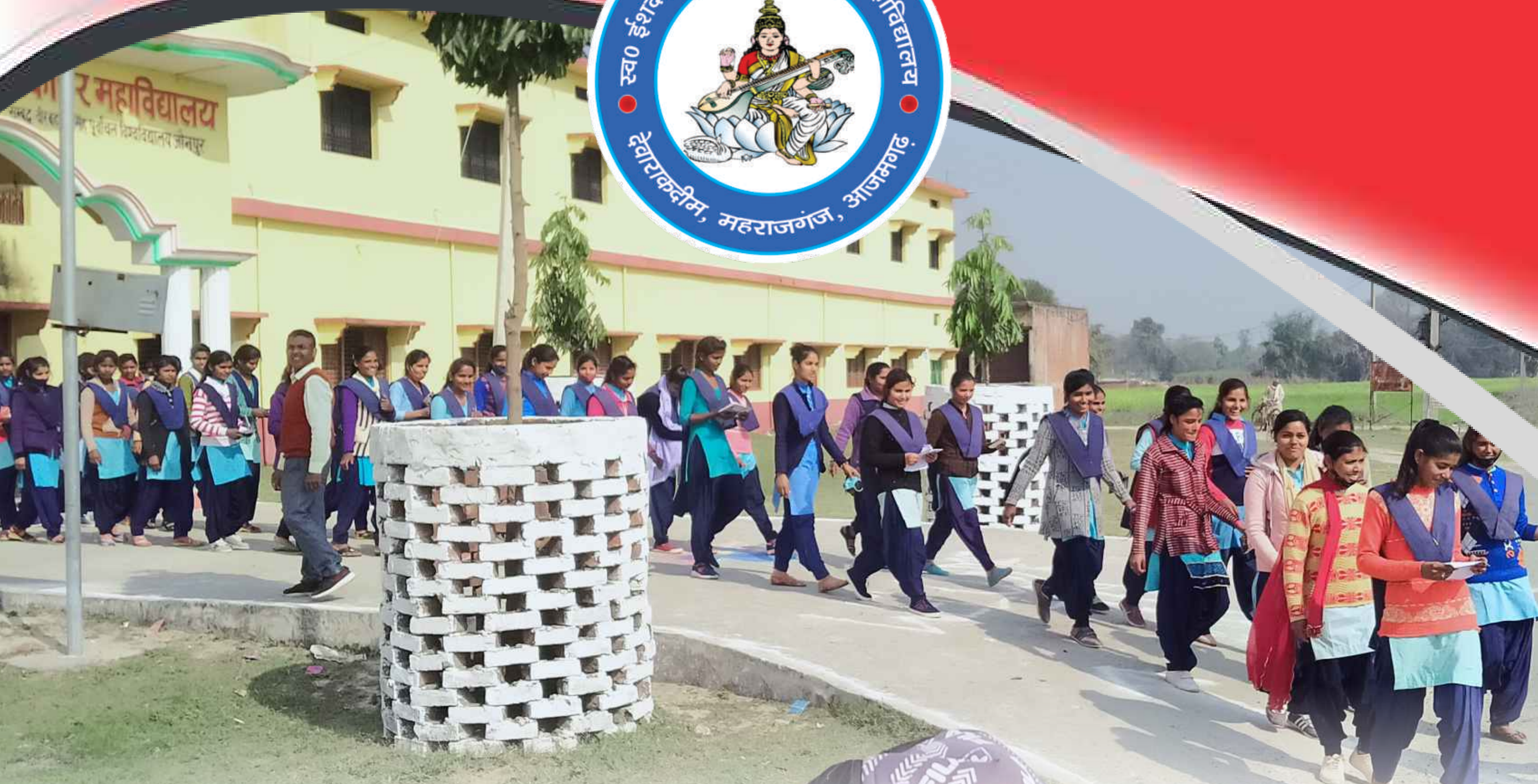

स्व0 ईशदत्त स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय

देवाराकदीम, महराजगंज, आजमगढ़ (उ.प्र.)

सम्बद्ध : महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

–: महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर :–

कार्यालय : 9452468933 , 9450301127

Printed : Eastern Educational Emporium, Azamgarh

सम्बद्ध – महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़

स्व0 ईशदत्त स्मारक स्नातकोत्तर महाविद्यालय

देवाराकदीम, महराजगंज–आजमगढ़

आवेदन–पत्र

क्रमांक :

वर्ष : 202 – 202

फोटो

छात्र/छात्रएं/संस्थागत/व्यक्तिगत/Ex-स्टूडेन्ट/एकल विषय

दिनांक .... कक्षा ....

नामांकन संख्या .... लेजर संख्या................................

आधार कार्ड संख्या | | | | | | | | | | | | |

1. छात्र/छात्रा का नाम (हिन्दी में) .... लिंग (पु0/स्त्री) ....
   अंग्रेजी में (कैपिटल अक्षरों में) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. पिता/पति का नाम (हिन्दी में) श्री ....
   अंग्रेजी में (कैपिटल अक्षरों में) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. माता का नाम ....
   अंग्रेजी में (कैपिटल अक्षरों में) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. जन्मतिथि | | | | | | | | | शब्दों में ....
   राष्ट्रीयता .... धर्म .... जाति .... जाति समूह ....
5. स्थायी पता– ग्राम .... पोस्ट...
6. तहसील .... जनपद .... पिन | | | | | | |
   संरक्षक का नाम .... फोन नं0 | | | | | | | | | | | |
7. पिता का व्यवसाय ....
8. विषय जो लेना चाहते हैं –
9. 1. .... 2. ....
   3. .... 4. ....
   5. .... 6. ....

छात्र–प्रति

छात्र/छात्रा का नाम .... पिता का नाम ....

कक्षा .... लेजर संख्या ....

विषय : 1... 2.. 3...

4... 5.. 6...

नोट :
1. इस आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट के अंकपत्रों/प्रमाणपत्रों की प्रमाणित (दो प्रति) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
2. यदि कोई अन्तराल हो तो तहसीलदार से अन्तराल प्रमाण–पत्र बनवाकर संलग्न करें।
3. इस आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र एवं आरक्षित वर्ग अपना जाति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें।
4. इस आवेदन पत्र के साथ पाँच फोटो संलग्न करें।